

पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

माझ्युल 01

(पंचायत प्रतिनिधियों एवं बदलाव दीदीयों हेतु सीख सामग्री)

नागरिकता, संविधान और पंचायत राज



Azim Premji
Philanthropic
Initiatives



टी.आर.आई.एफ. कार्यक्रम

समय	विषय	विषयवस्तु	पद्धति	अपेक्षित परिणाम
00.30	● परिचय	● आपसी परिचय	● सहभागी पद्धति से परिचय	● प्रशिक्षण के वातावरण का निर्माण
00.45	● नागरिकता	<ul style="list-style-type: none"> ● भारत के बारे में ● भारत के नागरिक कौन ● भारत में मतदाता कौन, नागरिक एवं मतदाता में अंतर ● सरकार को टेक्स कौन देता है ? 	<ul style="list-style-type: none"> ● खुली चर्चा ● संवाद ● सवाल जबाब 	<ul style="list-style-type: none"> ● भारत की संरचना के बारे में समझ ● भारत में मतदाता कौन हो सकता है इस पर समझ
01.00	● भारत का संविधान	<ul style="list-style-type: none"> ● भारत के संविधान की प्रस्तावना ● संविधान और राज्य ● नागरिकों के मौलिक अधिकार ● नागरिकों के मुल कर्तव्य 	<ul style="list-style-type: none"> ● संविधान पर फ़िल्म ● संवाद ● भाषण 	<ul style="list-style-type: none"> ● भारत के संविधान निर्माण प्रक्रिया पर समझ ● संविधान में प्राप्त अधिकारों एवं कर्तव्यों पर समझ
		भोजन अवकाश या स्वाल्पाहार		
01.00	● पंचायती राज एक संवैधानिक व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> ● भारत में पंचायती राज का इतिहास ● पंचायती राज की जरूरत ? ● कैसे बना पंचायती राज ● पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप ● पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण 	<ul style="list-style-type: none"> ● खुली चर्चा ● संवाद ● सवाल जबाब 	<ul style="list-style-type: none"> ● पंचायती राज निर्माण प्रक्रिया एवं महात्व पर समझ ● संविधान में पंचायतों को प्रदाय शक्तियों पर समझ
00.45	● त्रिस्तरीय पंचातयों के कार्य एवं ग्राम सभा का महात्व	<ul style="list-style-type: none"> ● ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्य ● ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता ● विकेन्द्रीकरण और सहभागी लोकतंत्र का महात्व 	<ul style="list-style-type: none"> ● भाषण ● संवाद ● सवाल जबाब 	<ul style="list-style-type: none"> ● पंचायती राज व्यवस्था को प्रदाय अधिकारी एवं कार्यों पर समझ ● ग्राम सभा की ताकत एवं उसके महात्व पर समझ

नोट :- सत्रों के संचालन में प्रायस किया जाये अगर संसाधन नहीं है तो उन सत्रों को सहभागी रूप से संचालित किया जाये भाषण पद्धति का उपयोग कम से कम किया जाये। जैसे अगर फ़िल्म दिखाने के संसाधन नहीं है तो उसके द्वश्यों पर चर्चा की जाये,

परिचय

परिचय एक महात्पूर्ण प्रक्रिया है किसी प्रशिक्षण के वातावरण निर्माण की इस लिए इसे सावधानी पूर्व किया जाये। परिचय के माध्यम से प्रशिक्षण पर प्रवेश करने में मदद मिलती है। यदि प्रतिभागीयों को एकत्र होने में 1-2 घंटे लगने की संभावना हो तो विस्तृत परिचय की विधि चुने जिसमें परिचय के साथ साथ विषय के संबंध में भी कुछ चर्चा हो सकती है। जिससे की प्रतिभागीयों की विषय पर समझ ज्ञान रुचि एवं अनुभवों का आंकलन किया जा सके और आगे आने वाले सत्र इस जानकारी पर आधारित हो सके। प्रयास करना चाहिए कि परिचय रुचिकर हो और प्रतिभागीयों के अनुकुल हो। नीचे कुछ परिचय विधि दी हुई है लेकिन आप सोच समझकर कोई अन्य विधि भी प्रयोग कर सकते हैं।

परिचय विधि नंबर-1

सामान्यतः देखा गया है कि प्रशिक्षण या बैठकों में सहभागीयों को इकट्ठा होने में 30-40 मिनिट का समय लग जाता है। यदि ऐसी स्थिति हो तो सहजकर्ता यह करें –

सहभागीयों का पंजीयन करते जाएं और विषम पंजीयन क्रमांक (1,3,5,...) वाले सहभागीयों से निम्न प्रश्न पूछते जायें –

कोई एक ऐसा काम जो पंचायत कर पायी?

इसी प्रकार सम पंजीयन क्रमांक (2,4,6,...) वाले सहभागीयों से निम्न प्रश्न पूछते जायें –

कोई एक ऐसा काम जो पंचायत नहीं कर पायी?

सहजकर्ता सहभागीयों द्वारा दिये गये जवाबों की सूची तैयार करते जायें। इस प्रक्रिया में सहजकर्ता एक-एक कर सभी सहभागीयों से परिचित हो पाएंगे, समय का सदुपयोग हो सकेगा तथा पंचायत द्वारा कराए गए और नहीं कराए गये कामों की सूची भी तैयार हो जाएगी। सहजकर्ता, सहभागीयों के साथ चर्चा कर उन्हें यह जानने और अहसास कराने का प्रयास करें कि जो काम हो पाये उनके क्या कारण थे तथा जो नहीं हो पाये उनके क्या कारण हैं।

परिचय विधि नंबर-2

यदि सभी सहभागी एक साथ आ जाएं तो सहभागीयों को उनकी संख्या अनुसार छोटे-छोटे समूह में बाटें। प्रत्येक समूह को परिचय विधि नं०-१ में दिये गये दोनों प्रश्नों के जवाब में पंचायत द्वारा कराए गए और नहीं कराए गये काम बताएगा। सहजकर्ता, सहभागीयों द्वारा दी गई जानकारियों को सूचीबद्ध कर दोनों प्रकार कामों के कारणों का सहभागी तरीके से विश्लेषण कराएं।

परिचय विधि नंबर-3

जोडे में परिचय कराना जिसमें अपने साथी का परिचय देना है। परिचय के साथ आप किसी भी तरह के उचित प्रश्न जोड़ सकते हैं जैसे—परिवार के बारे में जानकारी, मोहल्ले की परेशानियों के बारे में, दिनचर्या के बारे में इससे लोगों को सहज बनाने में मदद मिलती है।

प्रथम सत्र

00.45

नागरिकता, संविधान और पंचायत राज

भारत की नागरिकता को समझने से पहले भारत के बारे में जानना जरूरी है। भारत देश की खास विशेषता उसकी विविधता है। यहां कई धर्मों को मानने वाले, कई भाषाएं बोलने वाले और विभिन्न रीति-रिवाजों का पालन करने वाले लोग निवास करते हैं। भारत देश कई राज्यों का एक संघ यानी यूनियन है। उदाहरण के लिए भारत हमारा देश है और मध्यप्रदेश हमारा प्रदेश है। इसी तरह देश में उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, आंध्रप्रदेश हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित कुल मिलाकर 29 प्रदेश और 7 केन्द्र शासित राज्य हैं। इन सभी राज्यों या प्रदेशों के संघ को भारत संघ कहा जाता है।

प्रदेश के बाद स्थानीय स्तर पर शासन चलाने के लिए भी इकाइयां बनाई गई हैं। नगरों में नगरीय निकाय जैसे नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत स्थानीय सरकार मानी जाती हैं। देश से लेकर प्रदेश और स्थानीय निकायों तक की सभी सरकारें नागरिकों द्वारा ही चुनी जाती हैं।

भारत का नागरिक कौन ?

हमें कई कामों के लिए अपनी नागरिकता का परिचय देना होता है। जैसे— स्कूल में नाम लिखवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, जमीन—जायदाद खरीदने की लिखा—पढ़ी करना हो, बैंक से कर्जा लेना हो, किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, आदि। कई कामों के लिए जब हम फार्म भरते हैं तो हमें अपनी नागरिकता लिखना होती है, और हम लिख देते हैं कि हमारी नागरिकता “भारतीय” है। इसका मतलब है कि हम भारत के नागरिक हैं।

नागरिकता क्या है? भारत के नागरिक कौन हो सकते हैं ?

- जिसका जन्म भारत में हुआ हो।
- जिसके माता या पिता भारत में जन्मे हों।

दूसरे देश में जन्म लेने वाले, जो भारत में रह रहे हैं वे भी **विशेष** आवेदन देकर भारत की नागरिकता लेकर यहां के नागरिक बन सकते हैं। जैसे सोनिया गांधी इटली की रहने वाली थीं, राजीव गांधी से शादी करने के बाद वे भारत में रहने लगीं। भारत की नागरिकता पाने के लिए उन्होंने सरकार को आवेदन देकर अनुरोध किया जो सरकार ने मान लिया और इस तरह वे भारत की नागरिक बन गईं। सरकार की मन्जूरी मिलने पर ही दूसरे देश का कोई नागरिक भारत का नागरिक बन सकता है। सरकार चाहे तो किसी भी व्यक्ति का आवेदन नामन्जूर भी कर सकती है। यह जानना जरूरी है कि सरकार की मन्जूरी के बिना कोई बाहरी व्यक्ति हमारे देश का नागरिक नहीं बन सकता। नागरिकता देने के पहले सरकार अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है।

अब हम नागरिक होने का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। यह इसलिए जरूरी है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, जिसका मतलब है 'जनता का राज, जनता के लिए राज, जनता के द्वारा राज'। इस तरह कह सकते हैं कि हमारे देश में यहां के नागरिकों का राज है, जिसे चलाने के लिए नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। अतः हर नागरिक के लिए यह जरूरी है कि वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जाने।

नागरिक और मतदाता में अन्तर

लोकतंत्र में शासन नागरिकों का, नागरिकों के लिए, नागरिकों द्वारा माना जाता है। किन्तु सरकार के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार उन्हीं नागरिकों को होता है जिनका नाम सरकार द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची में होता है। एक नागरिक मतदाता तभी बन सकता है जब वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसलिए शासन हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का नवीनीकरण करती है ताकि 18 वर्ष तक की उम्र का हर व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सके।

लोकतंत्र में नागरिक मिलकर सरकार चलाने के लिए वोट देकर संसद, विधान सभा, नगर निगम / नगर पालिका और पंचायतों के लिए अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिला-पुरुष, जिनका मतदाता सूची में नाम हो, उन्हें वोट देने का अधिकार है। सभी मतदाताओं को वोट देने का बराबर का अधिकार है। सभी के वोट का महत्व या मूल्य भी बराबर है। चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, ऊँची जाति का हो या नीची

समझी जाने वाली जाति का, कहीं का भी रहने वाला हो सभी को केवल एक ही वोट देने का अधिकार है।

सरकार को टैक्स कौन देता है ?

कोई भी सरकार बगैर धनराशि के नहीं चल सकती हैं। सरकार के पास देश के लिए कई काम होते हैं, चाहें सड़कें बनानी हो या पुल, बच्चों के लिए स्कूल खोलना हो या मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देना हो या कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन देना या अन्य कोई काम। बगैर धनराशि के ये काम संभव नहीं हैं।

सरकार को धनराशि कर या टैक्स के जरिये प्राप्त होती है। अब सवाल यह है कि सरकार को टैक्स कौन देते हैं? आमतौर पर कुछ लोग अपनी आय में से सरकार को टैक्स देते हैं। इसके अलावा वे लोग भी सरकार को टैक्स देते हैं, जिनकी आय बहुत कम या कोई आय नहीं होती है।

सरकार कई प्रकार के टैक्स लगती है, जिनमें से एक टैक्स है वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं पर टैक्स। यानी जब आप कोई भी सामान बाजार से खरीदते हैं और उसके लिए जो कीमत देते हैं, उसमे टैक्स भी शामिल होता है। सरकार अलग-अलग चीजों पर अलग-अलग दस से टैक्स लगाती है। इस तरह हम देखते हैं कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी सरकार को टैक्स देता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि सरकार चलाने के लिए जो धनराशि चाहिये वह नागरिकों द्वारा दिये गए टैक्स से आती है।

भारत का संविधान

आजादी के बाद देश के सामने यह सवाल था कि देश का शासन कैसे चलाया जाए? उसके सिद्धांत, नियम—कायदे, विभिन्न जिम्मेदारियां और पद कैसे तय किए जाए? यानी देश के लिए एक संविधान बनाने की जरूरत महसूस की गई, जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जा सके। इसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा में कई विद्वान थे, जिन्हें शासन और राजनीति की अच्छी समझ थी। संविधान सभा के सदस्यों ने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारत का संविधान बनाया। हमार संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया।

संविधान की जरूरत और बनाने की प्रक्रिया के लिए संदर्भ सामग्री : टापू फ़िल्म
इस फ़िल्म में यह दर्शाया गया है कि कुछ लोग नाव से भटककर एक टापू पर पहुंच जाते हैं। इस टापू पर उन्हें कई साल बिताने होंगे। यहां जीवन जीने के लिए लोगों को कुछ नियम—कायदों की जरूरत है। लोग मिलकर ये नियम—कायदे बनाएंगे।

यह फ़िल्म दिखा कर नियम—कायदे बनाने का अभ्यास करवाया जा सकता है।

यदि फ़िल्म उपलब्ध न हो अथवा फ़िल्म दिखाने के लिये संसाधन की व्यवस्था न हो तो संविधान की जरूरत समझाने के लिए प्रशिक्षण लेने वाले साथी प्रशिक्षण की सुचारू व्यवस्था के लिए चर्चा करके नियम बना सकते हैं और उसके आधार पर उसे लिखकर सभी की सहमति ले सकते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा का समय, अनुशासन की जिम्मेदारी, कक्षा में साफ—सफाई आदि। यह उस प्रशिक्षण का संविधान हो सकता है।

भारत के संविधान की प्रस्तावना

भारत के संविधान की शुरुआत उसकी प्रस्तावना से होती है। संविधान की प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भारत का शासन चलाने के सिद्धांतों और स्वरूप का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है :

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण, प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए

तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखंडता

सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज

तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी,

संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को

संविधान की उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि :

- भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहां सरकारें लोगों के द्वारा वोट डालकर चुनी जाती है।
- भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय पाने का अधिकार है।
- देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति, यानी अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है।
- देश के नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है।

- शासन द्वारा किसी धर्म विशेष को नहीं अपनाया जायेगा।
- देश के नागरिकों को अवसरों की समानता का अधिकार है।

संविधान और राज्य के बारे में खास बातें

- हमारे देश का उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) कानूनों की व्याख्या करता है।
- नागरिकों के अधिकार कानून के माध्यम से लागू किये जाते हैं। कानून सरकार द्वारा बनाये जाते हैं।
- सरकार तीन अंगों से मिलकर बनती है:
 - विधायिका – यानी मतदाता जिन्हें चुनते हैं वे विधायिका में बैठते हैं और कानून व नीतियां बनाते हैं। संसद और विधान सभा हमारी विधायिका हैं।
 - कार्यपालिका— जैसे मंत्री परिषद और सरकारी अधिकारी ये कानून लागू करते हैं।
 - न्यायपालिका—यह कानून की व्याख्या करती है। यानी कानून के बारे में यदि कोई अस्पष्टता हो तो कार्यपालिका उसे स्पष्ट करती है। न्यायपालिका संविधान एवं कानून के अनुसार अपने फैसले देती है।



- केन्द्र सरकार जो अधिनियम बनाती है वह संसद से पारित होना जरूरी है। ये अधिनियम पूरे देश में लागू होते हैं। इसी तरह प्रदेश की सरकारें अपनी विधान सभाओं में प्रस्ताव पारित करके अपने प्रदेश के लिए अधिनियम बनाती हैं जो उनके प्रदेशों में लागू होते हैं।
- किन विषयों पर केन्द्र सरकार तथा किन विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनायेंगी इसके लिए संविधान में तीन सूचियां बनाई हैं। पहली केन्द्रीय सूची, दूसरी राज्य की सूची, तीसरी समवर्ती सूची जिसमें ऐसे विषय हैं जिन पर केन्द्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं।
- स्थानीय निकाय (पंचायत एवं नगरीय स्वशासन) भी स्थानीय स्तर पर एक तरह की सरकार है। इसे संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा लागू किया गया है।

नागरिकों के मौलिक अधिकार

भारत के संविधान की खास विशेषता नागरिकों के ‘मौलिक अधिकार’ हैं, जो संविधान के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। मौलिक अधिकार का मतलब है ऐसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इन अधिकारों को न तो सरकार और न ही कोई अन्य व्यक्ति इन्हें छीन सकता है। भारत के संविधान में देश के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार इस प्रकार है :

1. समानता का अधिकार।
2. स्वतंत्रता का अधिकार।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार।
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
5. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
7. निजता का अधिकार। (माननीय सुप्रीम कोर्ट के फेसले के बाद ‘निजता’ को मौलिक अधिकार माना गया।)

इन मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित तालिका से समझ सकते हैं:-

क्र.	मौलिक अधिकार	अधिकार का विवरण	अनुच्छेद
1.	समानता का अधिकार	कानून के समक्ष समानता का अधिकार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है। यानी कानून सबके लिए समान है।	अनुच्छेद 14
		भेदभाव पर रोक धर्म, वंश, जाति, जन्म एवं स्त्री-पुरुष के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।	अनुच्छेद 15
		अवसरों की समानता देश के सभी नागरिकों को रोजगार, नियोजन एवं विकास के अवसरों की समानता का अधिकार है। जो समुदाय पहले से पिछड़े हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जन जाति एवं महिलाओं को आरक्षण के जरिये सरकार विशेष अवसर दे सकती है।	अनुच्छेद 16

		<p>छुआछूत की समाप्ति</p> <p>किसी भी व्यक्ति से जाति या अन्य किसी भी आधार पर छुआछूत नहीं की जाएगी। यानी छुआछूत करना अपराध माना गया है।</p>	अनुच्छेद 17
		<p>उपाधियों का अंत</p> <p>सरकार सेना तथा शिक्षा के अलावा कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगी। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।</p>	अनुच्छेद 18
2.	स्वतंत्रता का अधिकार	<p>अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता</p> <p>देश के सभी नागरिकों को अपनी बात कहने यानी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। साथ ही उन्हें शांतिपूर्ण सम्मेलन करने, संघ या संगठन बनाने, देश में कहीं भी बिना रोक-टोक के जाने—आने तथा कहीं भी निवास करने तथा रोजगार—व्यापार करने का अधिकार है।</p>	अनुच्छेद 19
		<p>अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण</p> <p>कोई व्यक्ति किसी 'अपराध' माने जाने वाले कृत्य के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति पर किसी कानून का उलंघन करने को आरोप सिद्ध न हो गया हो।</p> <p>किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती।</p> <p>किसी भी आरोपी को न्यायलय में अपने को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी बात कहने का अधिकार है।</p>	अनुच्छेद 20
		<p>प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार</p> <p>सभी नागरिकों को जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। यानी किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जीवन जीने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें निजता का अधिकार भी शामिल है।</p>	अनुच्छेद 21
		<p>शिक्षा का अधिकार</p> <p>छे: से चौदह साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अतः सरकार छे: से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी।</p>	अनुच्छेद 21क
		<p>गिरफ्तार व्यक्ति को संरक्षण का अधिकार</p> <p>पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। साथ ही उसे वकील से सलाह लेने का भी अधिकार है।</p> <p>किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। बगैर मजिस्ट्रेट की अनुमति के पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक गिरफ्तार नहीं</p>	अनुच्छेद 22

		रख सकती।	
3.	शोषण के विरुद्ध अधिकार	मानव दुर्व्यापार और बलात श्रम (जबरन श्रम) के विरुद्ध अधिकार किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती बिना पारिश्रमिक (मजदूरी) दिए काम नहीं कराया जा सकता। किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा या मर्जी के बिना अन्यत्र काम पर नहीं ले जाया जा सकता है। अर्थात् किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता। साथ ही मानव दुर्व्यापार को भी अपराध माना गया है।	अनुच्छेद 23
		कारखानों में बच्चों से काम करवाने पर प्रतिबंध चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों या इस तरह के अन्य खतरनाक कामों में काम पर नहीं लगाया जा सकता।	अनुच्छेद 24
4.	धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	धर्म को मानने एवं प्रचार का अधिकार किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार है।	अनुच्छेद 25
		धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार किसी भी व्यक्ति या समूह को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार हैं। किसी भी धार्मिक संगठन का गठन करने तथा उसे चल-अचल सम्पत्ति हासिल करने का अधिकार है।	अनुच्छेद 26
		किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।	अनुच्छेद 27
		धार्मिक शिक्षा एवं उपासना की स्वतंत्रता सरकार द्वारा संचालित किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किन्तु धार्मिक संगठन द्वारा स्थापित संस्थाओं को अपने धर्म के अनुसार उपासना करने का अधिकार है।	अनुच्छेद 28
5.	संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार	अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति एवं जेण्डर के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता।	अनुच्छेद 29
		शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा। शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी	अनुच्छेद 30

		शिक्षण संस्था से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।	
6	संवैधानिक उपचारों का अधिकार	<p>देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करने का पूरा अधिकार है। यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे न्यायालय में जाने का पूरा अधिकार है।</p> <p>हम अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर / मुकदमा करके। ● हाईकोर्ट में याचिका दायर / मुकदमा करके। ● अपने राज्य में हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट को सीधे पत्र लिखकर। ● किसी के द्वारा अपनी याचिका दायर करवाकर। ● हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर या लिखवाकर। ● आयोगों में आवेदन करके – हमारे देश में केन्द्र एवं राज्य स्तर पर मूल अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न आयोग बनाये गये हैं। जैसे – मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग, महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग। 	अनुच्छेद 31

नागरिकों के मूल कर्तव्य

भारत का संविधान, भाग 4क (अनुच्छेद 51क)

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे।
4. देश की रक्षा करे और आव्हान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भरत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा, और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।
6. हमारी सामुदायिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसकी रक्षा करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा सभी प्राणियों के प्रति दयाभाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, और ज्ञानर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे, हिंसा से दूर रहे।

- व्यवित्तगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाईयों को छू सके।
- माता—पिता या संरक्षक, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, बच्चों या प्रतिपाल्य यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को यथास्थिति शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

तृतीय सत्र

01.00

पंचायत राज : एक संवैधानिक व्यवस्था

हमारे देश का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाता है। देश में पंचायतराज लागू करने की बात भी संविधान में ही लिखी हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा है कि – ‘राज्य, ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।’

देश में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से केन्द्र सरकार की है और उसी के साथ ही प्रदेश सरकार का भी कर्तव्य है कि प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लागू करे। यही कारण है कि भारत की संसद ने पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय संविधान में 73वां एवं 74 वां संशोधन किया। 73 वें संविधान संशोधन से पंचायत राज की स्थापना की गई, वहीं 74 वें संविधान संशोधन से नगरीय निकायों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। इस तरह हम कह सकते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था एक संवैधानिक व्यवस्था है।

भारत में पंचायत राज का इतिहास

आजादी के बाद देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू की गई। यानी यहां सरकार लोगों के वोट से बनती है। किन्तु लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तब है जब शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी हो। भारत में अंग्रेजों के समय से ही स्थानीय शासन के महत्व को समझा जाने लगा था। उस समय प्रशासन की इकाई जिला स्तर पर स्थापित की गई थी एवं इसके प्रशासन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी (कलेक्टर) के दी गई थीं। पूरे देश में अंग्रेज के गवर्नर का राज था। सन् 1882 में लार्ड रिपन भारत के गवर्नर थे। उन्होंने स्थानीय स्तर पर

प्रशासन में लोगों को सम्मिलित करने के कुछ प्रयास किए गए एवं जिला बोर्डों की स्थापना की गई। उस समय चले राष्ट्रीय आंदोलन ने भी इस व्यवस्था को महत्व दिया। इसलिए लोगों को अपने प्रशासन में सम्मिलित करने के लिए 1930 एवं 1940 में अनेक प्रांतों में पंचायती राज संबंधी कानून बनाए गए। आजादी के बाद भारत का संविधान बनाया गया, जिसमें अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्रामीण क्षेत्रों को शासन पंचायतों द्वारा किए जाने की बात लिखी गई है।

पंचायत राज की जरूरत

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अनुमान है कि देश की कुल जनसंख्या में से 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यह सवाल आजादी के पहले से ही सामने आता रहा है कि इतने बड़े देश में सरकार किस तरह काम करेगी? गांवों व कस्बों के विकास और उनकी समस्याओं से संबंधित फैसले कौन लेगा? योजनाएं कौन बनाएगा? इस सब सवालों का यही उत्तर खोजा यह माना गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और योजनाओं से संबंधित फैसले लेने के लिए पंचायत के रूप में वहां की अपनी सरकार वहीं के लोग मिलकर बनाए। इस तरह देश में पंचायत राज की जरूरत सामने आयी। पंचायत राज की इस व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है।

स्थानीय स्तर पर लोगों द्वारा किए जाने वाली शासन व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के दो मूल कारण हैं— पहला, यह व्यवस्था शासन को निचले स्तर तक लोकतांत्रिक बनाती है। दूसरा, इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी होती है।

स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे स्थानीय समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं और उनका समाधान भी आसानी से ढूँढ सकते हैं। अतः स्थानीय स्वशासन का अर्थ है—“स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से करना और उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना, जिससे समस्या का निदान भी स्थानीय स्तर पर हो।” इसमें गांव की योजनाएं, ऊपर से सरकार यानी प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार से बनकर नहीं आती, बल्कि ग्रामवासियों द्वारा खुद बनाई जाती हैं। राज्य और केन्द्र सरकार लोगों के हितों के लिए कई योजनाएं घोषित करती है, उनके लिए धनराशि की व्यवस्था करती है। किन्तु पंचायत स्तर पर उन्हें संचालित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। इसी तरह ग्राम पंचायत भी खुद अपने संसाधनों के अनुसार अपनी योजना बना सकती है।

कैसे बना पंचायत राज ?

स्थानीय स्तर पर शासन चलाने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए सन् 1957 में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे इसी लिये इस समिति को बलवंतराय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। सन् 1958 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की। उन्होंने सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय व्यवस्था इस प्रकार होगी—गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पर ब्लाक पंचायत या जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को 12 जनवरी 1958 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस समिति ने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। समिति ने राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया और कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार पंचायतों को धनराशि उपलब्ध कराएगी। किन्तु इसके साथ ही पंचायतों को भी अपने आय के स्रोतों (जैसे टैक्स आदि) स्थापित करने होंगे। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, अगस्त 1958 में यह व्यवस्था लागू की गई। इसकी सफलता के फलस्वरूप 2 अक्टूबर, 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया।

बाद में अन्य राज्यों ने भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। परंतु इस प्रयास को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा की गई थी। इसके कारण तीन प्रमुख कारण थे – पहला राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को धन नहीं दिया जाना, दूसरा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के बीच कार्यों को लेकर तालमेल न होना और तीसरा समाज के सम्पन्न वर्ग, जैसे – जमींदारों और वर्चस्वता वाले लोगों ने पंचायत को अपने हाथों में रखने का प्रयास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि आम जनता ने ऐसी संस्थाओं से अपना मुंह मोड़ लिया।

पंचायत राज संस्थाओं पर पुनः विचार करने एवं पंचायती राज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने के लिये दो सुझाव दिये – पहला निचले स्तर पर मंडल पंचायत तथा दूसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। परंतु, अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को भी विभिन्न कारणों से लागू नहीं किया जा सका।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में एक समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना था। इस समिति ने ग्राम सभा को पुनर्जीवित करने तथा पंचायती राज के नियमित चुनाव कराने पर बल दिया। इस समिति ने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। इस सिफारिश को लागू करते हुए संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया जिसमें और एक अनुसूची—ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी है। 25 अप्रैल, 1993 से 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया।

73 वे संविधान संशोधन की मुख्य बातें :

1. त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना करना
2. किसी भी पंचायत को 6 माह से अधिक निलंबित नहीं रख सकना
3. संसद और विधान सभाओं की तरह पांच साल में सभी पंचायतों के चुनाव कराया जाना
4. पंचायतों के चुनाव, चुनाव आयोग द्वारा कराया जाना
5. वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को धन आबंटित करना
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना
7. हर गांव की अपनी ग्रामसभा होना, जो गांव के विकास के फैसले लेगी, योजना बनाएगी और किये जा रहे कार्यों की निगरानी करेगी

स्थानीय स्वशासन से संबंधित खास बातें

- स्थानीय स्वशासन का मतलब लोगों द्वारा खुद अपने गांव या क्षेत्र के शासन चलाना है। इस तरह पंचायत अपने आप में स्थानीय स्वशासन की इकाई है।
- शासन चलाने का मतलब अपने गांव या पंचायत में लोगों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए काम करना।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार के लिए सुदूर गांवों की सभी समस्याओं का हल निकालना संभव नहीं होता है। इसलिए स्थानीय स्वशासन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें लोग खुद अपने गांव की समस्या का हल ढूँढ़ते हैं।

पंचायत राज व्यवस्था का स्वरूप

संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद-243(ख) के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर एवं जिला स्तर पर पंचायत इकाईयों का गठन किया गया।

विभिन्न राज्यों में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं के संगठन एवं कार्यों में अंतर होते हुए भी निम्नलिखित सिद्धांत समान रूप से स्वीकार किए गए हैं—

1. ग्राम से जिले तक पंचायती राज का संगठन त्रि-स्तरीय होगा।
2. तीनों इकाइयों के काम और भूमिका तय होंगी तथा सभी अपनी-अपनी भूमिका निभाएंगे।
3. अधिकारों एवं दायित्वों का हस्तांतरण वास्तविक रूप में होना चाहिए।
4. पंचायत राज इकाइयों को अपना कार्य करने के लिए सरकार द्वारा संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
5. इन इकाइयों में समाज के सभी वर्गों खासकर वंचित वर्गों (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) एवं महिलाओं की भागीदारी आवश्यक रूप से होगी।
6. सभी ग्रामवासियों को ग्रामसभा के रूप में विशेष अधिकार दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत तथा गांव स्तर की सभी संस्थाएं ग्रामसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी।

73 वें संविधान संशोधन के बाद प्रदेशों द्वारा अपने-अपने राज्य के लिए पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार मध्यप्रदेश में “मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम” पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार मध्यप्रदेश में पंचायतों के चुनाव राजनैतिक दलों द्वारा नहीं लड़े जाते हैं। यानी ये चुनाव पार्टी आधारित नहीं होते हैं।

आरक्षण

संविधान के अनुच्छेद 243(घ) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। किन्तु यदि अनुसूचित जाति एंव जनजाति की जनसंख्या के आरक्षित पदों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं होंगे। इस प्रकार आरक्षित एवं अनारक्षित सभी तरह के पदों के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

पंचायतों के कार्य के विषय

पंचायतों के कार्यों के संदर्भ में संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी है, जिसमें पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित 29 विषय रखे गये हैं, जो इस प्रकार है—

1. कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी सम्मिलित है।
2. भूमि सुधार, भू—सुधार का क्रियान्वयन, भूमि संयोजन।
3. लघु सिंचाई, जल—प्रबंधन एवं वाटरशेड विकास।
4. पशुपालन, डेयरी एवं कुकुट पालन।
5. मछली पालन।
6. सामाजिक वानिकी एवं उद्यान वानिकी।
7. लघु वन्य उपज।
8. लघु उद्योग, जिसमें विद्युत का वितरण भी सम्मिलित है।
9. ग्रामीण आवास।
10. खादी, ग्रामीण एवं सूती कपड़ा उद्योग।
11. पेयजल।
12. ईंधन एवं पशुचारा।
13. ग्रामीण विद्युतीकरण।
14. सड़कों, पुलों, घाटों, जलमार्गों एवं संचार के अन्य साधनों का विकास।
15. गैर—परंपरागत ऊर्जा स्रोत।
16. निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम।
17. शिक्षा, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा भी सम्मिलित है।
18. तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा।
19. लेखा जांच एवं अनौपचारिक शिक्षा।
20. वाचनालय।
21. सांस्कृतिक गतिविधियां।
22. बाजार एवं हाट।
23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं।
24. परिवार कल्याण।

25. महिला और बाल विकास।
26. समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।
27. वंचित वर्गों का और विशेषकर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
29. सामुदायिक संसाधनों का रखरखाव।

त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्य

ग्राम पंचायत स्तर पर

- प्रशासनिक कार्य—** इनमें गांव एवं पंचायत का रिकॉर्ड रखना, रोजगार संबंधी आंकड़े तैयार करना, सरकारी सहायता को लोगों तक पहुंचाना, अपने क्षेत्र की शिकायतों को हल करना या उन्हें सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाना, ग्राम विकास योजनाओं पर चर्चा करना तथा कृषि एवं गैर-कृषि उत्पादन में वृद्धि की योजनाएं बनाना आदि कार्य सम्मिलित हैं।
- कृषि एवं वन्य संरक्षण सम्बन्धी कार्य—**गांव की बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाना, कृषि उत्पादन वृद्धि में सहायता देना, उत्तम बीजों के उत्पादन तथा प्रयोग को प्रोत्साहित करना, कृषि को प्रोत्साहित करना, खाद के गड्ढे बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में वनारोपण करना और उनकी रक्षा करना, आदि।
- सफाई एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य—**इस क्षेत्र के कार्यों में पेयजल की व्यवस्था करना, सार्वजनिक गलियों, नालियों एवं तालाबों, आदि की सफाई करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा एवं चिकित्सा प्रबंध करना, शवों को जलाने एवं दफनाने हेतु स्थान का प्रबंध करना, सार्वजानिक शौचालयों का निर्माण करना, व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग को प्रोत्साहित करना, इमारतों के निर्माण का नियंत्रण, चाय-दूध इत्यादि की दुकानों को लाइसेंस प्रदान करना, प्रसूति गृह एवं शिशु केन्द्रों की स्थापना करना इत्यादि कार्य सम्मिलित हैं।
- पेयजल और प्रकाश व्यवस्था —** सभी ग्रामीणों को शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना, पंचायत के सभी गांव के घरों तक बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना और मार्गों, शासकीय भवनों में प्रकाश व्यवस्था करना।

5. **शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्य** —ग्राम पंचायत के इन कार्यों में मुख्य रूप से सम्मिलित हैं— शिक्षा का विस्तार, कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन, मनोरंजन आदि के लिए अखाड़ों एवं क्लबों की व्यवस्था करना, सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों इत्यादि की व्यवस्था, सामाजिक तथा नैतिक उत्थान के कार्य, जैसे—शराब बंदी, छुआ—छूत की समाप्ति, पिछड़े वर्गों का कल्याण, आदि।
6. **सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी कार्य**—इस प्रकार के कार्यों में सार्वजनिक नालियों, पुलों का निर्माण एवं उनकी मरम्मत, सार्वजनिक इमारतों की व्यवस्था, सार्वजनिक तालाबों एवं कुओं की व्यवस्था एवं उनकी स्वच्छता का प्रबंध, धर्मशालाओं का निर्माण एवं व्यवस्था, पशुघरों की स्थापना एवं नियंत्रण, स्नान एवं कपड़े धोने के घाटों का प्रबंध, अकाल आदि के समय लोगों के लिए काम एवं रोजगार आदि की व्यवस्था सार्वजनिक गलियों एवं बाजारों में वृक्षारोपण एवं उनका संरक्षण करना, आदि कार्य सम्मिलित हैं।
7. **जनहित सम्बन्धी कार्य**—इसके अंतर्गत भू—सुधार सम्बन्धी योजनाओं में सहायता करना, प्राकृतिक प्रकोपों के समय ग्रामवासियों की मदद करना, परिवार नियोजन का प्रचार करना, विकास कार्यों के लिए श्रमदान करना, समितियों की स्थापना करना, आदि।
8. **अन्य कार्य** — ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आने वाले कुछ अन्य प्रमुख कार्य हैं— पशुओं की नस्ल सुधारना और रोगों से उनकी रक्षा मरम्मत, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना अपने क्षेत्र के निवासियों एवं फसलों की सुरक्षा करना, आग बुझाने (अग्निशमन) की प्रभावी व्यवस्था करना, इत्यादि।
9. **समय—समय पर केन्द्र और राज्य शासन की योजनाओं/स्कीमों/कार्यक्रमों को उनके दिशा निर्देशों के अनुसार लागू करना। जैसे — मनरेगा योजना।**

जनपद पंचायत स्तर पर

1. **सामुदायिक विकास कार्य** —ग्राम पंचायतों में रोजगार उपलब्ध करवाना, पलायन एवं उससे होने वाली समस्याओं को हल करना, ग्रामीण जनता को स्वावलंबी बनाने तथा लोक कल्याणकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं अन्य जरूरी सहायता करना।
2. **पशुपालन** — स्थानीय पशुओं की नस्ल सुधारना, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना करना, सुधरे हुए पशु खाद्य उपलब्ध कराना, पशुओं को होने वाली बीमारियों की रोकथाम के प्रबंध करना, पशु चिकित्सालयों की स्थापना करना, दुग्धशालाओं की स्थापना एवं दूध भेजने का प्रबंध करना, तालाबों में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना इत्यादि।

3. **कृषि सम्बन्धी कार्य** – अधिक कृषि उत्पादन हेतु योजनाओं का निर्माण करना एवं उन्हें क्रियान्वित करना, भूमि एवं जल-साधनों का प्रयोग करना, नवीनतम शोध पर आधारित कृषि की सुधरी हुई रीतियों का प्रसार करना, लघु सिंचाई कार्यों का निर्माण करना, सिंचाई के कुओं तथा बांधों का निर्माण एवं मेढ़े बनाने में ग्रामीणों की सहायता करना, भूमि को कृषि के योग्य बनाना, एवं कृषि भूमियों का संरक्षण करना, उन्नत बीजों का वितरण करना, स्थानीय खाद सम्बन्धी साधनों का विकास करना, सुधारे हुए कृषि उपकरणों के प्रयोग एवं निर्माण को प्रोत्साहन देना, पौध संरक्षण करना, राज्य आयोजन में बताई गई नीति के अनुसार, व्यापारिक फसलों का विकास करना, सिचाई तथा कृषि के विकास के लिए ऋण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करना, इत्यादि।
4. **स्वास्थ्य एवं सफाई** – टीकाकरण की व्यवस्था करने सहित स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार एवं रोगों की रोकथाम करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, परिवार नियोजन हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना, अस्पतालों एवं प्रसूति केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करना, व्यापक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य हेतु अभियान चलाना तथा पोषण आहार एवं संक्रामक रोगों के सम्बन्ध में ग्रामीणों में चेतना जागृत करना।
5. **सहकारिता से सम्बन्धित कार्य** – जनपद पंचायत का यह दायित्व है कि वे ग्राम सेवा सहकारी समितियों के औद्योगिक, सिंचाई, कृषि तथा अन्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना में सहायता देकर ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता को प्रोत्साहन दें।
6. **शिक्षा एवं समाज शिक्षा के कार्य** – प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण, मध्यम स्तर की छात्रवृत्तियां एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना, बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार करना, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना, पुस्तकालयों की स्थापना करना, युवा संगठनों का निर्माण, सामुदायिक केन्द्र और मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करना।
7. **संचार साधनों सम्बन्धी कार्य** – सड़कों एवं पुलों का निर्माण तथा उनका संरक्षण करना।
8. **कुटीर उद्योग** – रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ाने हेतु कुटीर और छोटे स्तर के उद्योगों की स्थापना व विकास करना, उद्योग सम्बन्धी सम्भावित संसाधनों का सर्वेक्षण करना, उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संरक्षण करना, कारीगरों और शिल्पकारों की कुशलता को बढ़ावा देना, आधुनिक औजारों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने की पहल करना।
9. **पिछड़े वर्गों के लिए कार्य** – अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावासों का प्रबन्ध करना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के हितों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाना तथा उनके क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की मदद करना।

10. अन्य कार्य – ऊपर दिए गए कार्यों के अतिरिक्त जनपद पंचायत द्वारा निम्नलिखित कार्य भी सम्पन्न किए जाते हैं –

- आग, बाढ़, महामारियों एवं अन्य व्यापक प्रभावशाली आपदाओं की दशा में आपातकालीन सहायता का प्रबन्ध करना।
- राज्य सरकार एवं जिला पंचायत द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन करना।
- ऐसी योजनाओं या कार्यों का क्रियान्वयन करना जो दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों से संबंधित है।
- ऐसे किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाए गए न्यासों का प्रबंध करना, जिसके लिए जनपद पंचायतों की धनराशि का प्रयोग किया जाए।
- पंचायत की समस्त गतिविधियों की देखरेख एवं उनका मार्ग–दर्शन तथा ग्राम पंचायत योजनाओं का निर्माण करना।
- घृणास्पद, हानिकारक व्यापारों, धंधों तथा रीति रिवाजों को नियंत्रित करना।
- हाटों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं, जैसे—सार्वजनिक पार्कों, बागों फलोद्यानों और फार्मों की स्थापना, प्रबंध साधारण एवं निरीक्षण करना।
- रंगमंचों की स्थापना एवं उनका प्रबंध करना।
- आश्रमों, अनाथालयों, पशु चिकित्सालयों तथा अन्य संस्थाओं का निरीक्षण करना।
- अल्प–बचत एवं बीमा योजनाओं के माध्यम से लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करना।
- लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना।

जिला पंचायत स्तर पर

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 52 और उसकी उपधाराओं में जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख किया गया है। उनमें से प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

- जिले के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायतों के साथ समन्वय करना।
- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सौपी गई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना।
- जनपद पंचायतों के कार्यों का समन्वय, मूल्यांकन एवं निगरानी करना।

- जनपद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं की देखरेख, समन्वय करना।
- ऐसी योजनाओं या कार्यों का क्रियान्वयन करना जो दो या दो से अधिक जनपद पंचायतों से संबंधित है।
- पंचायतों में नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर नियंत्रण करना और पंचायतों को स्थानांतरित करना।

ग्रामसभा की शक्तियों को संवैधानिक मान्यता

गांव के विकास के बारे में फैसले लेने, ग्राम पंचायत के कामों की देखरेख करने तथा गांव में चल रही सभी सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी करने संबंधी कई महत्वपूर्ण अधिकार ग्रामसभा को सौंपे गए हैं। ग्रामसभा के ये अधिकार म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के द्वारा दिए गए हैं। ग्राम पंचायत का बजट एवं वार्षिक कार्ययोजना तभी लागू हो सकती है, जब वह ग्रामसभा में रखी गई हो और ग्रामसभा द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया गया हो।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 7—ठ में गांव की शासकीय सेवाओं तथा उसे जुड़े कर्मचारियों पर ग्रामसभा को नियंत्रण का अधिकार दिया गया है, इसके अनुसारः—

- ग्रामसभा सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक सकती है।
- कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश मंजूर करेगी।
- सरकारी कर्मचारियों के काम का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करेगी। यानी ग्रामसभा के सदस्य या उसकी संबंधित समिति के सदस्य शासकीय कार्यों/कार्यक्रमों का निरीक्षण कर सकते हैं।
- काम संतोषजनक न होने पर दण्ड देने की सिफारिश कर सकती है।

यदि कानून की इस धारा का सही उपयोग ग्रामसभा करने लगे तो गांव में काम करने वाले कर्मचारियों की शिकायत ऊपर करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। गांव में होने वाले कामों की जांच वहीं गांव में हो जायेगी, जांच वहीं के वहीं होने से कर्मचारी गांव का काम जल्दी करेंगे और काम की गलत रिपोर्ट होने की सम्भावनायें बहुत कम होगी। जब गांव का काम गांव में ही जल्दी होने लगेगा तो गांव का राज चलाने में गांव के लागों की भागीदारी बढ़ जायेगी। अधिक लोगों की भागीदारी से सहभागी लोकतंत्र मजबूत होगा। इससे सरकार और जनता का समय और साधनों की बचत होगी और सरकार और जनता में भरोसा कायम हो सकेगा। कानून की यह धारा विकेन्द्रित लोकतंत्र का अच्छा उदाहरण है। पंचायतों और अन्य एजेन्सियों द्वारा कराये गए काम का सामाजिक अंकेक्षण ग्रामसभा के द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

जहां काम हुआ, जिनके लिए काम हुआ, जिनके सामने काम हुआ उन्हीं के द्वारा वहीं जांच करना आसान तो होगा ही किसी भी तरह की गड़बड़ी छिपाने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। इससे काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और काम किफायत से होगा। जब अच्छे काम होंगे तो जनता की तकलीफें कम होंगी तो लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ेगा।

विकेन्द्रियकरण और सहभागी लोकतंत्र का महत्व

शासन की व्यवस्था चलाने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो गांव में या मोहल्ले में जो कुछ करना है वह दिल्ली में तय हो, बात—बात में दिल्ली से मन्जूरी लेना पड़े, इस तरीके को केन्द्रियकरण कहते हैं। दूसरा तरीका है कि जो कुछ गांव या मोहल्ले में होना हो वह वहीं तय हो, वहीं उसकी मन्जूरी मिल जाये इसे विकेन्द्रियकरण कहते हैं। दोनों तरीकों के कुछ लाभ और नुकसान हैं, पूरे देश के स्तर पर कुछ कामों में एकरूपता रखने के लिए केन्द्रियकरण जरूरी हो जाता है। मानलो भारतीय रेल का विकेन्द्रियकरण कर दिया जाए तो हजारों रेल्वे स्टेशनों के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल हो जायेगा, ऐसे और कई उदाहरण हो सकते हैं। इसके बावजूद भी विकेन्द्रियकरण की व्यवस्था अधिक उपयोगी होती है। मानलो पूरे देश के लिये पीने के पानी या मुर्दा जलाने के लिए लकड़ियों का इन्तजाम भी दिल्ली से होने लगे तो सोचो कितनी परेशानी हो जायेगी। इसी तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए अधिकांश जगह विकेन्द्रियकरण को अच्छा मानकर अपनाया गया है। खासकर लोकतन्त्र की व्यवस्था में जो व्यवस्था जितनी लोकतान्त्रिक होगी वह उतनी अधिक विकेन्द्रियकृत होगी। एक बात और ध्यान में रखें कि कोई भी व्यवस्था पूरी तरह से केन्द्रीयकृत या पूरी तरह से विकेन्द्रियकृत नहीं होती, अधिक या कम हो सकती है। हमारे देश में विकेन्द्रियकरण के लिए सबसे बड़ी कोशिश संविधान के तेहत्तरवें संशोधन के द्वारा की गई है जिससे पंचायतों को मजबूती मिली है।

इस संशोधन से पंचायतों के चुनाव संसद और विधान सभाओं के चुनावों की तरह समय पर कराना जरूरी हो गया है पंचायतों के वित्तीय साधनों का पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित हो गया है और पंचायतों को वैधानिक दर्जा मिल गया है। विकेन्द्रियकरण को इस तरह से समझ सकते हैं, मध्य प्रदेश में पहले जनता का राज मध्य प्रदेश की विधान सभा के 230 विधायकों के द्वारा होता था। पंचायतराज आने से अब इनमें से बहुत से काम 51 जिला पंचायत, 350 के लगभग जनपद पंचायत और 23500 ग्राम पंचायतों के लगभग 360500 चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा होने लगा है। मतलब पहले की तुलना में जनता के द्वारा राज जनता के 230 चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा होने लगा है। गांवों के काम और उनकी देखरेख और जांच पड़ताल अब गांव के स्तर पर होने लगी है। मध्य प्रदेश में कानून बनाकर 26 जनवरी 2001 से जनता के द्वारा जनता का राज चलाने का जो इन्तजाम किया उसमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ गांव के सभी वयस्क मतदाताओं को राज चलाने की जिम्मेवारी में शामिल कर लिया गया, इस व्यवस्था को

ग्राम स्वराज कहते हैं। जिसमें गांव की ग्राम सभा को गांव के काम चलाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवम् ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में संशोधन करके ग्राम सभा को महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां सौंपी है। जिसमें ग्राम पंचायत के बजट और वार्षिक योजना को ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होता है।

पंचायत राज अधिनियम की धारा 7—ठ के अनुसार गांव स्तर के सभी सरकारी कर्मचारियों पर ग्राम सभा के नियंत्रण का प्रावधान किया है, जिसके अनुसार

1.ग्राम सभा सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक सकती है

2.कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश मन्जूर करेगी

3.सरकारी कर्मचारियों के काम का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करेगी

4.काम संतोषजनक न होने पर शास्ति अधिरोपण, मतलब दण्ड देने की सिफारिश करेगी। यदि कानून की इस धारा का सही उपयोग ग्राम सभा करने लगे तो गांव में काम करने वाले कर्मचारियों की शिकायत ऊपर करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। गांव में होने वाले कामों की जांच वहीं गांव में हो जायेगी, जांच वहीं के वहीं होने से कर्मचारी गांव का काम समय पर करेंगे और काम की गलत रिपोर्ट होने की सम्भावनायें बहुत कम हो सकती हैं। जब गांव का काम गांव में ही जल्दी होने लगेगा तो गांव का राज चलाने में गांव के लागों की भागीदारी बढ़ जायेगी, अधिक लोगों की भागीदारी से सहभागी लोकतन्त्र मजबूत हो सकता है। इससे सरकार और जनता का समय और साधनों की बचत होगी और सरकार और जनता में भरोसा कायम हो सकेगा। कानून की यह धारा विकेन्द्रित लोकतन्त्र का अच्छा उदाहरण है। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं पंचायतों और अन्य एजेन्सियों के द्वारा कराये गए काम का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के द्वारा किये जाने का प्रावधान है। जहां काम हुआ, जिनके लिए काम हुआ, जिनके सामने काम हुआ उन्हीं के द्वारा वहीं जांच करना आसान तो होगा ही किसी भी तरह की गड़बड़ी छिपाने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। इससे काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और काम किफायत से होगा जब अच्छे काम होंगे तो जनता की तकलीफें कम होंगी और लोकतन्त्र में जनता की भागीदारी बढ़ेगी।

संविधान में अच्छी बातें लिखी हैं, पंचायत राज अधिनियम में लोकतान्त्रिक प्रावधान हैं जनता की भागीदारी के अवसर बनाये गए हैं फिर भी इनके परिणाम वैसे नहीं निकले जैसी उनमें सम्भावनायें थीं। जो कुछ हुआ और हो रहा है उसे देखकर एक कहावत याद आ जाती है “का पानी में घुल गयो, का माटी को दोष, बोई गुठली आम की, फिर फिर फले बबूल”। हमारे और आपके सामने सवाल यह है कि हाथ पर हाथ धरे जो हो रहा है जैसा हो रहा है

उसे वैसा ही चलने दें या संविधान की बातों को और कानून के प्रावधानों को समझकर एक साथ मिलकर इसे बदलकर संविधान के सपनों का समाज बनाने की कोशिश करें।

निष्कर्ष

इस तरह हम यह स्पष्ट है कि भारत में स्वस्थ लोकतान्त्रिक परम्पराओं की स्थापित करने के लिए पंचायत व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। इसके माध्यम से शासन की सत्ता जनता के हाथों में सौंपी जाती है। इस व्यवस्था द्वारा देश की ग्रामीण जनता में लोकतान्त्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के प्रति रुचि उत्पन्न होती है।

विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया में शासकीय सत्ता गिनी-चुनी संस्थाओं में न रहकर गांव की पंचायतों के कार्यकर्ताओं के हाथों में पहुंच जाती है।